

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website:- www.rajsec.rajasthan.gov.in, Email:- secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ.3(75)स्टोर/रानिआ/2025/पार्ट-1/4325

दिनांक: 06.11.2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यालय स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी की वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु दर संविदा करने के प्रयोजनार्थ मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन प्रपत्र दिनांक 14.11.2025 तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा SPPP पोर्टल से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए कोटेशन प्रपत्र दिनांक 14.11.2025 सांय 3:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। प्राप्त कोटेशन दिनांक 14.11.2025 को सांय 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	वार्षिक अनुमानित राशि
1.	स्टेशनरी आईटम एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी आईटम	90 हजार

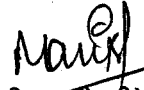
जो कोटेशन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


(नलिनी कठातिया)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(75)स्टोर/रानिआ/2025/पार्ट-1/4325

दिनांक: 06.11.2025

प्रतिलिपि:- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर लेख है कि बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र आदि SPPP Portal एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करें।


(मनीषा चौधरी)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

कोटेशन के लिये की शर्तें

टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपने कोटेशन भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

- कोटेशन को उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
- (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
- कोटेशन के साथ फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
- निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- दर अंकन में कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
- दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषांगिक (Incidental) प्रभारों एवं अन्य करों आदि को शामिल करना चाहिये। मूल निविदा फॉर्म के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
- प्रत्येक आइटम हेतु न्यूनतम बोली/दर प्रस्तुत कर्ता को एल-1 बिडर घोषित किया जावेगा। किसी आइटम हेतु समान दरें प्राप्त होने पर कुल आइटमों में से अधिक आइटमों हेतु न्यूनतम बोली प्रस्तुत कर्ता फर्म को उस आइटम सप्लाय करने हेतु वरीयता दी जावेगी।
- बातचीत (Negotiation) :-** (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।
(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमत (Ring Price) दी गई हो या
(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- विधि मान्यता :-** निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
- सप्लाय:-** आदेशित सामग्री की सप्लाय आयोग द्वारा निर्धारित स्थान/आयोग के भण्डार कक्ष पर करानी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा/अन्य खर्च का भुगतान नहीं किया जायेगा। सप्लाय जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं।
- रद्द करना (Rejection) :-** (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

13. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिवस के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
14. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
16. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।
17. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) :-** क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)
 - (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
 - (ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
 - (क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
 - (ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।
 - (ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किप्ट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।
 - (iv) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद एवं दर संविदा की अवधि समाप्ति या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:-**प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा-
 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।
18. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने या किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. (1)
 - I. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

II. परिसमापित नुकसानी — परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

- (क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये — 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से — 5%
अनाधिक के लिये
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से — 7.5%
अनाधिक अवधि के लिये
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये — 10%

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

- 21. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में की जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।
- 22. निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सिल चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि का प्रमाण संलग्न करना होगा।
- 22. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

(नलिनी कठोटिया)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबद्धित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

निविदादाता का नाम व डाक का पता

टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

परिशिष्ट-क

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

बोलीदाता का विवरण
(बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1	सामग्री/सेवा का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या एवं ई-मेल का पता	
3	फर्म का पंजीकरण क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
4	जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
5	पैन नं. क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता

स्टेशनरी सामग्री का विवरण

क्र.सं.	विवरण	मार्का	प्रति नग दर (Excluding GST)	जीएसटी दर	कुल दर (सभी कर सहित)
1.	स्टेपलर पिन Small 10 Nos पैकेट	Kores			
2.	प्लास्टिक फोल्डर	L Type			
3.	फेवी ग्लू स्टीक 15 Gm	Fevi			
4.	स्टेपलर छोटे 10 Nos	Kangaroo			
5.	स्टेपलर बड़ा 24/6	Kangaroo			
6.	फोटो स्टेट पेपर A-4, 75 GSM white	J.K. Copier Red			
7.	फोटो स्टेट पेपर FS, 75 GSM white	J.K. Copier Red			
8.	वाईट फ्लूड पेन	Kores			
9.	फाईल पैड Superior Quality				
10.	स्टॉम्प पैड Medium Size	Ashoka			
11.	रजिस्टर सादा 1 qr.	100 Page			
12.	पैन Cello Ball	Power fine			
13.	पैन Uniball	Eye/Fine			
14.	रूल पेन्सिल HB	Natraj			
15.	स्लीप पैड No. 33 Big				
16.	Pen Drive (3.2 32 GB Gen 1)	Kingston			
17.	कम्प्यूटर माऊस	Logitech			
18.	Key Board	TVS Gold Bharat			
19.	बस्ते				
20.	डस्टर				
21.	मार्कर	Cello			
22.	हाईलाइटर	Faber Castell			
23.	पेपर कटर Superior Quality				
24.	फ्लेग Superior Quality				
25.	EPSON Black Ink Cartedge (Bottle)				
26.	कार्टेज HP Printer MFP 2606DN	158X			

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम